

राजस्थान सरकार

अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:- स.3-16(1)स्था/अभि/विविध/2016/ 1504-15

दिनांक 30-1-18

-: आदेश :-

वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 15(1) एफडी/रूल्स/2017 जयपुर दिनांक 30 अक्टूबर, 2017 एवं अधिसूचना (संशोधित) दिनांक 9.12.2017 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 के अन्तर्गत अभियोजन विभाग में पदस्थापित निम्नांकित अधिकारियों के विकल्प पत्र के आधार पर वेतन नियतन प्रपत्र का अनुमोदन सहायक लेखाधिकारी प्रथम द्वारा किये जाने के उपरान्त वेतन निर्धारण पर आगामी वार्षिक वेतन वृद्धिया निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है:-

क्र० स०	नाम अधिकारी मय पद	वेतन नियतन प्रपत्र क्रमांक / दिनांक	Level in pay Matrix	दिनांक जिससे वेतन नियतन किया गया	वेतन नियतन पर पे मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण की राशि	वार्षिक वेतन वृद्धि दिनांक 1.7.16 को स्वीकृति पर मूल वेतन	वार्षिक वेतन वृद्धि दिनांक 1.7.17 को स्वीकृति पर मूल वेतन	वि०वि ०
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	श्री अरूण माथुर उप निदेशक अभियोजन	515/09.01.18	L-18	01.08.16	82300/-	-	84800/-	
2.	श्री मोहम्मद अय्याज उप निदेशक अभियोजन	516/09.01.18	L-18	01.08.16	82300/-	-	84800/-	
3.	श्री कुशालराम उप निदेशक अभियोजन	517/09.01.18	L-18	01.01.16	84800/-	87300/-	89900/-	
4.	श्री लक्ष्मी रमेश चौधरी उप निदेशक अभियोजन	518/09.01.18	L-18	20.07.16	82300/-	-	84800/-	
5.	श्री अशोक कुमार बन्नावत उप निदेशक अभियोजन	519/09.01.18	L-18	02.08.16	77600/-	-	79900/-	
6.	श्री परमेश्वरलाल सहायक निदेशक अभियोजन	520/09.01.18	L-15	01.01.16	70300/-	72400/-	74600/-	
7.	श्री सुशील कुमार शर्मा उप निदेशक अभियोजन	522/09.01.18	L-18	01.07.16	82300/-	-	84800/-	
8.	श्री राकेश कुमार मित्तल सहायक निदेशक अभियोजन	523/09.01.18	L-15	01.01.16	70300/-	72400/-	74600/-	

9.	श्री चिम्मनलाल मीना उप निदेशक अभियोजन	521/09.01.18	L-18	01.01.16	84800/-	87300/-	सेवानिवृत्ति दिनांक 31.07.2016
----	--	--------------	------	----------	---------	---------	--------------------------------------

आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि 01.07.2018 होगी।

नोट:-

1. क्रम. संख्या 01 से 08 तक के अधिकारियों को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 के नियम 23 के अनुसार दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2016 तक कोई एरियर देय नहीं होगा तथा उक्त अवधि में वेतन वृद्धि काल्पनिक आधार पर देय होगी।
2. क्र0स0 09 पर अंकित अधिकारी श्री चिम्मनलाल मीना की दिनांक 31.07.2016 को सेवानिवृत्ति हो जाने के कारण इनके किसी प्रकार के एरियर का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा दिनांक 01.07.16 की वेतन वृद्धि काल्पनिक आधार पर देय होगी।
3. क्रम. संख्या 01 से 08 तक के अधिकारियों को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 के नियम 24 के अनुसार दिनांक 01.01.2017 से 30.09.2017 तक की अवधि के एरियर राशि 30, 30 ओर 40 प्रतिशत के अनुपात में देय होगी। प्रथम, द्वितीय और तीसरी किशतों को दिनांक 01.04.2018, 01.07.2018 एवं 01.10.2018 को सम्बन्धित कर्मचारी के जीपीएफ खाते में जमा किया जायेगा।
4. दिनांक 01.10.2017 से वेतन एवं भत्तों का नकद भुगतान देय होगा।

sd-

(यशवन्त भारद्वाज)

अति. निदेशक अभियोजन (न्याय)
राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. लेखाशाखा, अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर। (दो प्रति में)
2. सम्बन्धित कार्मिक-----
3. निजी पत्रावली/ रक्षित पत्रावली।

[Signature]
अति. निदेशक अभियोजन (न्याय)
राजस्थान जयपुर।